

Recd. on 30.04.04

संख्या - 2931

/15-7-04-16 12 // 2004

प्रेषक

शिख प्रकाश गुप्त
संयुक्त संचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

लैवा में,

संचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 सम्मायकेन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली ।

शिक्षा ॥७॥ अनुभाग

लखनऊ: दिनांक : 24 जून, 2004

विषय:- नेहरु इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल सेक्टर-11 नोएडा को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 11। विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी जा सम्य-सम्य पर नवीनीकरण कराया जाएगा ।
- 12। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुशूचित जाति/जनजाति के भैषाची बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा०शिक्षा परिषद् द्वारा संयोगित विद्यालयों में विभिन्न दशाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- 14। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथा वैसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौसिल फार डि इण्डियन स्कूल सटीफिल्ड इक्यामिलेज नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद् की संबद्धता प्राप्त होने की गियर से उ०प्र०मा०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

१५।

^{के}
संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर विद्यारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त
शिक्षण। संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों
तै कम वेतनमान तथा अन्य नहीं दिये जायेंगे।

१६।

कर्मचारियों की रोबा शर्ती नावी जायेगी और उन्हें ज़हायता प्राप्त
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य
सेवा निवृत्ति का नाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

१७।

राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित पर जौ भी आदेश निर्णत किये जायेंगे
संस्था उनका पालन करेगी।

१८।

विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

१९।

उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/
संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के निश अनिवार्य होगा और यदि
किसी सम्प्रय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं
किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की दूँक या शिक्षिता भरती
जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस तै तिया
जायेगा।

भद्रीय,

। शिम प्रकाश युप्त
संयुक्त सचिव ।

पूँसंछया एवं दिनांक तट्टैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ इन आवश्यक व्यवहारी हैं त्रु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, भेरठ।
- 3- जिला विधालय निरीक्षक, गाजियाबाद। नौरडा।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, नेहरू इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल तै०-।। नौरडा, गाजियाबाद।
- 6- गार्ड दुँक।

गाजिया ग्रै.

। शिम प्रकाश युप्त
संयुक्त सचिव ।

७